



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निबरानी 2805-I-15

प्रकरण कंमाक- /2015 रिवीजन याचिका

श्री Pallav Bohadi  
द्वारा प्राप्त दि. 21/7/15 को  
प्रस्तुत  
[Signature]  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
[Signature]  
21/7/15

दुर्गा उत्सव समिति द्वारा अध्यक्ष नरेश सक्सैना पुत्र  
श्री रामस्वरूप सक्सैना, आयु-40 वर्ष, निवासी-  
लटेरी, जिला- विदिशा म.प्र.

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. शिव ओम दुबे पुत्र श्री राधेश्याम दुबे, आयु-48 वर्ष, निवासी- वार्ड कंमाक-3, लटेरी, जिला- विदिशा म.प्र.
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार, लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.

....रेस्पोंडेन्टस

रिवीजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश  
दिनांक 05.05.2015 प्रकरण में 63/अ-68/12-13 में पारित द्वारा तहसीलदार  
लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.

सम्माननीय न्यायालय,

याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :-

1. यहकि, तहसील लटेरी में स्थित दुर्गा माता के मन्दिर पर काफी समय से पूजा


उत्तर  
Dhruv  
21-8-15

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2305-एक/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से, यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	